कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्घीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि0शि0से0
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

मोबाईल नं0–8544412079
हाजीपुर, वैशाली–844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com,deo-vaishali@bihar.gov.in

कार्यालय–आदेश

कार्यालय को प्रभारी प्रधानाध्यापक, एल0 एन0 उच्च माध्यमिक विद्यालय,भगवानपुर, वैशाली के विरुद्ध छात्र से 11वीं में नामांकन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की अवैध वसूली करने संबंधित शिकायत प्राप्त हुआ था। प्राप्त शिकायत के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में 11वीं कक्षा में नामांकित छात्र–छात्राओं से पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में छात्र द्वारा प्राप्त शिकायत प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई। विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक राशि की अवैध वसूली करना अत्यंत गंभीर मामला है जो घोर लापरवाही अनुशासनहीनता एवं पदीय दायित्वों के सर्वथा विपरीत है।

उक्त के आलोक में मो0 नसीमुल होदा, विशिष्ट शिक्षक सह प्रभारी प्रधानाध्यापक, एल0 एन0 उच्च माध्यमिक विद्यालय भगवानपुर, वैशाली को बिहार विशिष्ट शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवाशर्त), 2023 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

मो0 नसीमुल होदा के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्रवाई के सफल संचालन हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना एवं लेखा वैशाली को जॉच पदाधिकारी एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता हैं।

मो0 नसीमुल होदा का निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, गोरौल, वैशाली निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निर्धारित निलंबन के मुख्यालय से प्राप्त अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर किया जायेगा।

ह0

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांकः–1614 हाजीपुर दिनांकः–27/07/26

प्रतिलिपिः–वरीय कोषागार पदाधिकारी, हाजीपुर/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी/ संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/ संबंधित शिक्षक एवं संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27.7.26

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली